

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

::कार्यालय आदेश::

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी-2/45002/प्रधाना/स्थाना./2021 दिनांक 04.01.2021 द्वारा श्री रघुवीर सिंह, प्रधानाचार्य, सेठ महादेव प्रसाद माणकसय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, माणकसास जिला झुंझुनू का स्थानान्तरण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रोडवा, जिला बाड़मेर किया गया था जिसके विरुद्ध श्री रघुवीर सिंह द्वारा माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में अपील संख्या 422/2021 रघुवीर सिंह बनाम राजस्थान राज्य व अन्य दायर की गई।

अपील संख्या 422/2021 में माननीय अधिकरण द्वारा पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 25.01.2021 द्वारा विभागीय आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 04.01.2021 का प्रभाव एवं क्रियान्वयन अपिलार्थी श्री रघुवीर सिंह के सम्बन्ध में माननीय अधिकरण के आगामी आदेश तक स्थगित किया गया है।

अतः अपीलार्थी श्री रघुवीर सिंह माननीय अधिकरण के आगामी/अन्तिम निर्णयाधीन सेठ महादेव प्रसाद माणकसय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, माणकसास(216146) जिला झुंझुनू में प्रधानाचार्य के पद पर पदस्थापित रहेंगे एवं स्थगन से प्रभावित प्रधानाचार्य श्री झंडूराम सैनी, को आदेशों की प्रतिक्षा में किया जाकर मुख्यालय कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर किया जाता है। श्री झंडूराम को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल कार्यालय हाजा में अपनी उपस्थिति देना सुनिश्चित करें।


(सौरम स्वामी)


आई.ए.एस.
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिविरा-मा./संस्था/बी-2/रघुवीर/अपील/422/21

दिनांक: 15/2/2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, चूरु/जोधपुर संभाग, चूरु/जोधपुर।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, झुंझुनू/बाड़मेर।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक, झुंझुनू/बाड़मेर।
6. संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
7. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जयपुर।
8. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
9. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
10. सम्बन्धित प्रधानाचार्यों को आदेश की पालनार्थ।
11. निजी/रक्षित पत्रावली।


संयुक्त निदेशक(कार्मिक)